परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/ 203 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 2021007 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 जुलाई, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय-परिवहन के दौरान माल एवं वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने के सम्बन्ध में।

सचलदल इकाइयों द्वारा उ0प्र0 माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'प्रान्तीय अधिनियम' कहा गया है) की धारा-68 एवं उ0प्र0 माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे 'प्रान्तीय नियमावली' कहा गया है) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा माल का परिवहन करते पाए जाने पर प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या क्रमशः स0द0/1819009 दिनांक 09-05-2018 से निर्देश प्रसारित किए गए हैं। सचलदल इकाइयों द्वारा कृत कार्यवाही से आनलाईन अपील दाखिला तथा रिफण्ड प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में होने वाली कठिनाइयों के निवारण तथा विभाग की सचलदल इकाइयों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के दृष्टिगत पूर्व में जारी उक्त संदर्भित परिपत्र को अतिक्रमित किया जाता है एवं प्रान्तीय अधिनियम की धारा-168 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवहन के दौरान माल तथा वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने सम्बन्धी निम्न प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है -

1. जहां वाहन का प्रभारी व्यक्ति माल के परिवहन के समय रखे जाने वाले विहित प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है अथवा जहां प्रापर आफीसर परिवहन किए जा रहे माल एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्रों की जांच का इच्छुक है तब वाहन रोके जाने से 24 घण्टे के अन्दर विभागीय वेबसाईट (**http://comtax.up.nic.in/main.htm**) के व्यास सेन्ट्रल पर उपलब्ध प्रवर्तन माड्यूल से आनलाइन पंजी (केस आईडी) जनरेट करते हुए FORM GST MOV-01 एवं FORM GST MOV-02 जारी किया जाएगा तथा इसे वाहन प्रभारी को प्राप्त कराया जाएगा।

2. प्रापर आफीसर द्वारा परिवहन के दौरान रोके गए माल के जांच की समरी रिपोर्ट 24 घण्टे के अन्दर ई-वेबिल पोर्टल (**https://mis.ewaybillgst.gov.in/**) पर उपलब्ध FORM GST EWB-03 के पार्ट-ए में तथा तीन दिन के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट FORM GST EWB-03 के पार्ट-बी में आनलाईन अंकित की जाएगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा, परिस्थितिवश,

पर्याप्त कारण होने पर लिखित आदेश से अन्तिम रिपोर्ट अंकित करने हेतु अधिकतम तीन दिन का अतिरिक्त समय बढाया जा सकेगा। समरी रिपोर्ट अंकित करने हेतु 24 घण्टे अथवा तीन दिन की समय-सीमा का निर्धारण माल एवं वाहन रोके जाने की तिथि की मध्य रात्रि से किया जाएगा।

3. जांच अधिकारी द्वारा रोके गए वाहन में लदे माल का पूर्ण भौतिक सत्यापन करते हुए इसका विवरण FORM GST MOV-04 में आनलाईन अंकित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन पर किसी विहित प्रपत्र से अनाच्छादित माल का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा।

4. वाहन में लदे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों एवं माल के सत्यापन / निरीक्षणोपरान्त प्रान्तीय अधिनियम अथवा नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन न पाये जाने पर माल एवं वाहन को निर्धारित आनलाइन प्ररूप FORM GST MOV-05 में आदेश पारित करते हुए तत्काल अवमुक्त कर दिया जाएगा।

5. प्रान्तीय अधिनियम अथवा नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए माल का परिवहन करने पर माल एवं वाहन को निर्धारित आनलाइन प्ररूप FORM GST MOV-06 में आदेश पारित करते हुए ऐसे माल एवं वाहन को निरुद्ध किया जाएगा तथा आदेश की प्रति वाहन प्रभारी को प्राप्त कराई जाएगी।

6. माल एवं वाहन को निरुद्ध करने के तुरन्त बाद प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 की उपधारा (1) में देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए निर्धारित आनलाइन प्ररूप FORM GST MOV-07 में धारा-129 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी की जाएगी जिसकी समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-01 में कामन पोर्टल (**https://boweb.internal.gst.gov.in/**) पर अपलोड की जाएगी।

7. माल एवं वाहन को निरुद्ध किए जाने के 14 दिन के अन्दर माल स्वामी अथवा माल स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 की उपधारा (1) के अनुसार देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय (Payment) करते हुए प्रापर आफीसर को FORM GST DRC-03 में सूचित करने पर प्रापर आफीसर द्वारा जारी नोटिस के सम्बन्ध में कार्यवाही समाप्त किए जाने का आदेश कामन पोर्टल से FORM GST DRC-05 में करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा एवं माल तथा वाहन को FORM GST MOV-05 में आदेश पारित करते हुए तत्काल अवमुक्त कर दिया जाएगा।

8. जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट देय कर एवं अर्थदण्ड का संदाय करने सें सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रापर आफीसर द्वारा धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज-(a) अथवा (b), यथास्थिति, के अनुसार देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का निर्धारण करते हुए संदाय करने हेतु FORM GST MOV-09 में आदेश पारित किया जाएगा जिसकी समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-07 में कामन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। माल एवं

वाहन के निरुद्ध किए जाने से 14 दिन के अन्दर माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति अथवा माल स्वामी द्वारा देय कर एवं अर्थदण्ड के जमा का चालान प्रस्तुत करने पर प्रापर आफीसर द्वारा कामन पोर्टल पर सम्बन्धित व्यक्ति के उपलब्ध इलेक्ट्रानिक कैश लेजर से देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि को डेबिट किया जाएगा। सम्बन्धित व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक लायबिलटी रजिस्टर में FORM GST DRC-07 से डेबिट की गई धनराशि इलेक्ट्रानिक कैश लेजर से क्रेडिट होने पर ही देय कर एवं अर्थदण्ड का संदाय किया जाना मानते हुए माल एवं वाहन को FORM GST MOV-05 में आदेश जारी करते हुए अवमुक्त किया जाएगा।

9. FORM GST MOV-06 में आदेश से निरुद्ध किए गए माल एवं वाहन के सम्बन्ध में FORM GST MOV-07 में नोटिस जारी करने के पश्चात धारा-129 की उपधारा (1) के क्लाज (c) के अनुसार विहित रीति से जमानत एवं निर्धारित प्ररूप में बांड जमा करने पर निरुद्ध किए गए ऐसे माल एवं वाहन को FORM GST MOV-05 में आदेश पारित करते हुए अनन्तिम रूप से अवमुक्त कर दिया जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों का निस्तारण करते हुए देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय करने हेतु FORM GST MOV-09 में आदेश पारित किया जाएगा। निर्धारित कर एवं अर्थदण्ड की मांग के आदेश की समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-07 में कामन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा ऐसे माल एवं वाहन के निरुद्ध किए जाने के 14 दिन के अन्दर देय कर एवं अर्थदण्ड का संदाय करने पर अनन्तिम अवमुक्ति के समय प्रस्तुत की गई बैंक गारण्टी उसे वापस कर दी जाएगी परन्तु ऐसा करने में विफल रहने पर प्रापर आफीसर द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति हेतु कामन पोर्टल से देय कर एवं अर्थदण्ड जमा करने के लिए चालान जनरेट किया जाएगा। जमानत के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारण्टी एवं कामन पोर्टल से जनरेट किए गए चालान को सम्बन्धित बैंक में नकदीकरण हेतु भेजा जाएगा। नकदीकरण के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक कैश लेजर में क्रेडिट हुई धनराशि को प्रापर आफीसर द्वारा देय कर एवं अर्थदण्ड के विरुद्ध सेटऑफ करते हुए डेबिट कर दिया जाएगा।

10. माल एवं वाहन को निरुद्ध किए जाने की तिथि से 14 दिन के अन्दर माल स्वामी अथवा माल परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का संदाय करने में विफल रहने पर धारा-130 के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए FORM GST MOV-10 में माल एवं वाहन की जब्ती तथा अर्थदण्ड आरोपण हेतु अलग-अलग नोटिस जारी की जाएगी। जहां निरुद्ध किया गया माल शीघ्र नाशवान अथवा खतरनाक प्रकृति का हो अथवा समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास सम्भावित हो वहां प्रापर आफीसर द्वारा 14 दिन की समय सीमा को कम करते हुए निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात नियम-141 के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) में विहित प्रक्रिया का

पालन करते हुए शीघ्र नाशवान प्रकृति के माल को प्रापर आफीसर द्वारा निस्तारित किया जाएगा।

11. परिवहन के दौरान रोके गए माल की जांच के पश्चात जहां प्रापर आफीसर द्वारा यह पाया जाए कि ऐसे माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से किया जा रहा है तब वह धारा-129 में कार्यवाही के बजाय सीधे धारा-130 में ऐसे माल एवं उसमें प्रयुक्त वाहन के जब्ती की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकता है। ऐसे मामलों में परिवहन के दौरान वाहन को इंटरसेप्ट किए जाने से लेकर FORM GST MOV-04 जारी करने तक निर्धारित आनलाईन प्रक्रिया का पालन करते हुए सीधे धारा-130 के अन्तर्गत माल तथा वाहन की जब्ती और अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु FORM GST MOV-10 में अलग-अलग नोटिस जारी की जाएगी तथा इनकी समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-01 में कामन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

12. माल की जब्ती हेतु जारी नोटिस में माल की जब्ती के बदले जुर्माना के अतिरिक्त माल पर देय कर एवं अन्य कोई प्रभार और धारा-122 के अन्तर्गत आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट की जाएगी। वाहन की जब्ती हेतु जारी नोटिस में वाहन की जब्ती के बदले जुर्माना और धारा-122 के अन्तर्गत आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

13. धारा-130 के अन्तर्गत माल की जब्ती हेतु जारी नोटिस के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त प्रापर आफीसर द्वारा FORM GST MOV-11 में आदेश पारित करते हुए माल जब्त किया जाएगा। जब्त किए गए माल को विनिर्दिष्ट जुर्माना की धनराशि का संदाय करने पर छुड़ाने का विकल्प माल के स्वामी को दिया जाएगा। माल की जब्ती के बदले निर्धारित जुर्माना के अतिरिक्त माल स्वामी देय कर, धारा-122 के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड तथा ऐसे माल पर देय किसी अन्य प्रभार का भी दायी होगा।

14. धारा-130 के अन्तर्गत वाहन की जब्ती हेतु जारी नोटिस के सम्बन्ध में दिए गए स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त प्रापर आफीसर द्वारा FORM GST MOV-11 में वाहन की जब्ती का आदेश पारित किया जाएगा जिसमें परिवहित माल पर देय कर के बराबर जुर्माना की धनराशि का संदाय करने पर जब्त वाहन को छुड़ाने का विकल्प वाहन स्वामी को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी धारा-122 के अन्तर्गत अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

15. माल एवं वाहन की जब्ती हेतु FORM GST MOV-11 में अलग-अलग पारित आदेशों की समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-07 में कामन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। माल के सम्बन्ध में पारित जब्ती आदेश की समरी कामन पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व FORM GST MOV-09 में पारित आदेश से सृजित देय कर एवं अर्थदण्ड के मांग की वापसी

का आदेश किया जाएगा जिसकी समरी इलेक्ट्रानिकली FORM GST DRC-08 में कामन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

16. माल और वाहन स्वामी द्वारा देय जुर्माना, कर एवं अर्थदण्ड तथा अन्य प्रभार, यथास्थिति, का संदाय करने पर जब्त किया गया माल और वाहन FORM GST MOV-05 में आदेश पारित करते हुए अवमुक्त कर दिया जाएगा।

17. प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में माल अथवा वाहन की आवश्यकता न होने की संतुष्टि के पश्चात प्रापर आफीसर द्वारा जब्ती के बदले जुर्माना की धनराशि जमा करने हेतु तीन माह से अनधिक अवधि का समुचित अवसर देने के बाद ऐसे माल एवं वाहन का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा करते हुए प्राप्त प्रतिफल को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

18. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 के अन्तर्गत अभिग्रहीत शीघ्र नाशवान वस्तुओं पर निर्धारित अवधि में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट देय कर एवं अर्थदण्ड का संदाय न करने पर नियम-141 में विहित रीति से ऐसे माल के निस्तारण से प्राप्त धनराशि का समायोजन धारा-130 की कार्यवाही से सृजित कर, ब्याज, अर्थदण्ड एवं अन्य देयकों के विरुद्ध किया जाएगा तथा मांग अवशेष रहने पर धारा-79 के अन्तर्गत वसूली की जाएगी।

19. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-129 एवं धारा-130 के अन्तर्गत प्रचलित किसी कार्यवाही में आदेश पारित करते समय इसके सदृश आदेश केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत और लागू होने पर The GST (Compensation to States) Act, 2017 के अन्तर्गत भी पारित किया जाएगा।

20. उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाएं एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही में पारित होने वाले आदेशों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित (*mutatis-mutandis*) लागू होंगी।

21. धारा-129 अथवा धारा-130 के अन्तर्गत कर, अर्थदण्ड अथवा किसी अन्य देयक के संदाय करने का दायी कोई भी व्यक्ति यदि प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति प्रान्तीय अधिनियम की धारा-22 की उपधारा (1) के प्रावधानों के दृष्टिगत प्रान्त अन्दर किसी प्रवर्तन कार्यवाही के सम्बन्ध में अपंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति को प्रापर आफीसर द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-25 की उपधारा (8) एवं नियम-16 के प्रावधानों के अन्तर्गत *suo moto* पंजीयन प्रदान किया जाएगा तथा FORM GST REG-12 में Temporary I.D. जनरेट की जाएगी। *suo moto* पंजीयन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र (Credentials) यथा पता, फोन नम्बर, ई-मेल पता, बैंक डिटेल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आदि का ही प्रयोग प्रापर आफीसर द्वारा FORM GST REG-12 में किया जाएगा। देय कर एवं अर्थदण्ड का संदाय धारा-49 की

उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित किए बिना अभिग्रहीत माल एवं वाहन अवमुक्त नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि धारा-49 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जमा (Deposit) होने मात्र के आधार पर अभिग्रहीत माल एवं वाहन अवमुक्त नहीं किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक: उक्त।</u>

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4. एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।
5. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को परिपत्र की एक प्रति वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

09-07-2020
ज्वाइण्ट कमिश्नर(स0द0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।